

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री बंशीलाल खटीक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालौद, डूंगला जिला चित्तोड़गढ जिनकी जन्मतिथि 02.09.1963 है. श्री बंशीलाल खटीक का स्वर्गवास होने के कारण दिनांक 24.04.2018 से इनकी राजकीय सेवाएँ समाप्त की गई थी, एवं इनकी राजकीय सेवाएँ सन्तोषजनक रही है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बंशीलाल खटीक के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/बंशीलाल/2018

दिनांक : 5-6-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, चित्तोड़गढ
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तोड़गढ
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालौद, डूंगला जिला चित्तोड़गढ
6. आश्रित श्री बंशीलाल खटीक प्रधानाचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तोड़गढ
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: संशोधित आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2018 के द्वारा श्री बाबूदास वैष्णव, जिनकी जन्मतिथि 07.02.1960 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनेतकला जिला चित्तोड़गढ़ का सेवा सन्तोषजनक प्रमाण-पत्र प्रपत्र-6 जारी किया गया था, उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए श्री बाबूदास वैष्णव के स्थान पर श्री बालुदास वैष्णव पढा जावे। आदेश शेष शर्तें यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/बालुदास वैष्णव/2018

दिनांक : 6/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, चित्तोड़गढ़
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तोड़गढ़
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालौद, डूंगला जिला चित्तोड़गढ़
6. आश्रित श्री बंशीलाल खटीक प्रधानाचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तोड़गढ़
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: संशोधित आदेश ::

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/ए-5-6-8/एसीपी/उद./कोटा/भरत/2018 दिनांक 04.04.2018 में क्रम संख्या 04 पर अंकित श्री गिराज सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिलाचौद जिला भरतपुर के एसीपी स्वीकृति आदेश के कॉलम संख्या 05 (10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि) एवं कॉलक संख्या 06 (प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि) में क्रमशः 20 वर्ष एवं द्वितीय अंकित किया गया है के स्थान पर 30 वर्ष एवं तृतीय पढा जावे। शेष शर्तें मूल आदेश के अनुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

- क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/ए-8/गिराज सिंह/2017 दिनांक : 6-6-18
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-
1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर
 2. श्री गिराज सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिलाचौद जिला भरतपुर
 3. प्रधानाचार्य, श्री गिराज सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिलाचौद जिला भरतपुर
 4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
 5. निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर